रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 706] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 5, 2016/आश्विन 13, 1938
No. 706] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016/ASVINA 13, 1938

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 954(अ).—केंद्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटर नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 17(अ), तारीख 7 जनवरी, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में उनसे द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 7 जनवरी, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थीं ;

उक्त प्रारुप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

अत:, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटरयान (16वॉ संशोधन) नियम 2016 है

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 115ड. के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"115च. ऊर्जा उपभोग मानक –

(1) एम1 मोटरयानों का प्रत्येक विनिर्माता या आयातकर्ता, जो नियम 126 के अधीन क्वाड्रीसाइकिल से अन्यथा, कम से कम चार पहियों के साथ प्रकार अनुमोदित है, यात्रियों के और उनके सामान का वहन करने के लिए उपयोग किया जाता है और जो नौ सीटों से अनधिक, जिसके अंतर्गत ड्राइवर की सीट है से बना है और जिसका सकल भार 3500 किलोग्राम से अनधिक है जो भारत में विक्रय के लिए विनिर्मित या आयातित है, प्रथम अप्रैल, 2017 को और से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के उपबंधों के अधीन भारत सरकार में ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1072 (अ), तारीख 23 अप्रैल, 2015 में यथाविनिर्दिष्ट औसत इंधन उपभोग मानकों के संबंध में ऊर्जा उपभोग मानकों का अनुपालन करेगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया समय-समय पर यथासंशोधित दस्तावेज संख्या एमओआरटीएच /सी एम वी आर /टी ए पी – 115/116 में यथाअधिकथित होगी ।

(3) उपनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर आटोमोटिव टैक्नोलोजी (आईसीएटी) मानेसर द्वारा प्रतिवर्ष मूल्यांकित की जाएगी ।

[सं. आर.टी-11011/04/2007-एमवीएल]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 903(अ), तारीख 23 सितम्बर, 2016 द्वारा संशोधित किए गए ।

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2016

G.S.R. 954(E).—Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 17(E), dated the 7th January, 2016, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the said notification containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 7th day of January, 2016;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (16th Amendment) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 115E, the following rule shall be inserted, namely: -

"**115F. Fuel consumption standard.-**

(1) Every manufacturer or importer of M1 motor vehicles which are type approved under rule 126, with at least four wheels, other than quadricycles, used for carriage of passengers and their luggage and comprising not more than nine seats including driver's seat, and of gross vehicle weight not exceeding 3,500 kilograms, manufactured or imported for sale in India, shall on and from the 1st day of April, 2017, comply with the Average Fuel consumption Standard, notified under the Energy

Conservation Act, 2001 vide notification of the Government of India in the Ministry of Power number 1072 (E), dated the 23rd April, 2015.

(2) The procedure for ensuring compliance under sub-rule (1) shall be as laid down in Document No. MoRTH/CMVR/ TAP-115/116, as amended from time to time.

(3) The procedure specified under sub-rule (2) shall be evaluated annually by the International Centre for Automotive Technology (ICAT), Manesar.

[No. RT-11011/04/2007-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R 903(E), dated the 23rd September, 2016.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.10.07 10:57:33 +05'30'